5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय-बोर्ड आफ रैवेन्यू, मध्यप्रदेश, ग्वालियर   निगरानी-9004/PBR/16

प्रकरण क्रमांक   /२०१६

१) जालिम सिंह पुत्र गोपीलाल जाति भील वयस्क

२) नाथुसिंह पुत्र जालम सिंह, जाति भील वयस्क

३) गंगाबाई पत्नी नाथूलाल जाति भील वयस्क

४) जुनाबाई पत्नी जालमसिंह जाति भील वयस्क

५) बलराम पुत्र घनजी जाति भील वयस्क

६) नवल पुत्र घनजी जाति भील वयस्क

निवासीगण टटूजखेड़ी, तैहसील कुंभराज, जिला गुना

(म०प्र०)   -अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण

दिनांक 21.1.16 को श्री डी.एन. अस्थाना अभि० द्वारा प्रस्तुत।
21.1.16
SD

बनाम

मुलीबाई पत्नी दौला जाति भील वयस्क निवासी टटूजखेड़ी, तैहसील कुंभराज जिला गुना, म०प्र० -प्रतिअपीलार्थी/प्रतिप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा २६(१) म०प्र०भू०रा०सं०, १९५९

माननीय न्यायालय,

प्रार्थीगण का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१) यह कि, प्रार्थीगण ने प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय कमिश्नर महोदय संभाग ग्वालियर (म०प्र०) के यहां न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुभाग चाचौड़ा जिला गुना के प्र०क्र० ४अपील/२०१४-१५ व उनवान जालमसिंह आदि विरुद्ध मुलीबाई मे पारित आदेश दिनांक २४/११/१५ के विपरीत व्दितीयअपील माल प्र०क्र० ८४/२०१५-१६ व उनवान जालम सिंह आदि विरुद्ध मुलीबाई को अधिवक्ता डी०एन०अस्थाना ने दि० २८/१२/२०१५ को अधिवक्ता श्री एम०पी०भटनागर व्दारा प्रस्तुत कराई जाकर दिनांक ४/१/२०१६ को सुनवाई हेतु नियत कराई गई थी।

298/ 19/1/16 सुदामाराम शर्मी अपर आयुक्त

Sd/-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 9004–पीबीआर/2016 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष प्रकरण में अभी प्रारंभिक सुनवाई ही हुई है, ऐसी स्थिति में प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित करने का पर्याप्त आधार नहीं है, अतः यह आवेदन पत्र अग्राह्य किया जाता है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	